भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5688

दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ओडिशा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर

†5688. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ओडिशा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही प्रस्तावित केंद्रों की संख्या कितनी है, उनके स्थान कौन-से हैं और इसके कार्यान्वयन की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने ओडिशा सरकार के साथ राज्य में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना के बारे में कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया है या कोई परामर्श किया है;
(घ) यदि हां, तो प्राप्त सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पहल के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है; और
(ङ) सरकार द्वारा ओडिशा में और विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और इस तक पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ड.): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) की स्थापना सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। इसका विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं:

https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=45&lid=58

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ओडिशा राज्य के लिए एनएचएम के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए वित्तीय अनुमोदन 134.18 करोड़ रुपए है ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा, ओडिशा के ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और पहुँच को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं:

• **पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)** में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य तक बेहतर पहुँच प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। ओडिशा राज्य को राज्य के प्रस्ताव के अनुसार जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज स्तर पर 604 भवन रहित-एएएम (उप-केंद्र - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र), 140 शहरी-एएएम (यू-एचडब्ल्यूसी), 119 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू), 21 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 21 गंभीर देखभाल ब्लॉक (सीसीबी) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए चार वर्षों (यानी वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25) के लिए 1049.38 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। ।

• ओडिशा राज्य के लिए **पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV)** के तहत, राज्य के प्रस्ताव के अनुसार 1280 भवन रहित उप स्वास्थ्य केंद्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (884 एसएचसी और 396 पीएचसी) और 90 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की पांच साल की अवधि में 1988.92 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

• **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)** का उद्देश्य किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाना है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना और ओडिशा राज्य के लिए बेहरामपुर, बुर्ला और कटक में तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) के उन्नयन के लिए मंजूरी दी गई है।

• केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए ऐसे अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। ओडिशा राज्य में बालासोर, बारीपदा, बोलनगीर, कोरापुट, पुरी, जाजपुर और कालाहांडी जिलों में 07 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई।

*****